प्रकाशन हेतु अनुमोदित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्र. 223/2004

अपीलार्थी शाखा प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रायगढ़

बनाम

प्रत्यर्थीगण सेवा बाई एवं अन्य

विविध अपील क्र. 224/2004

अपीलार्थी शाखा प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रायगढ़

बनाम

प्रत्यर्थीगण संझ कुमार एवं अन्य

विविध अपील क्र. 225/2004

अपीलार्थी द यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रायगढ़

बनाम

प्रत्यर्थीगण भगवती बाई एवं अन्य

विविध अपील क्र. 226/2004

अपीलार्थी शाखा प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रायगढ़

बनाम

प्रत्यर्थीगण दिलासो बाई एवं अन्य

निर्णय सुनाए जाने हेतु:दिनांक 10/7/2007 के लिए नियत

सही/–
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्र. 223/2004

अपीलार्थी शाखा प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय, गोपी टॉकीज के सामने, रायगढ़ (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. सेवा बाई, विधवा बरत राम, आयु 22 वर्ष, निवासी ग्राम गेरसा, थाना धरमजयगढ़
2. नाबालिक पार्वती, पिता स्वर्गीय बरत राम, द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका माता सेवा बाई विधवा बरत राम के माध्यम से, दोनों निवासी ग्राम गेरसा, तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

दावाकर्तागण/आवेदकगण क्र.1 व 2

3. अनूप कुमार अग्रवाल, पिता किशन अग्रवाल, व्यवसाय– वाहन स्वामी, बाजारपारा,पत्थलगांव, जिला जशपुरनगर
4. चैन सिंह, पिता रूप साय सिदार, आयु लगभग 35 वर्ष, व्यवसाय– वाहन चालक, निवासी पत्थलगांव, जिला जशपुरनगर

अनावेदकगण क्र.1 व 2

विविध अपील क्र. 224/2004

अपीलार्थी शाखा प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय,गोपी टॉकीज के सामने, रायगढ़ (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. संझ कुमार, विधवा लगिन सिंह, आयु 22 वर्ष
2. माधो राम, पिता पितर सिदार, आयु 55 वर्ष

3. मेलो बाई, पति माधो राम, आयु 50 वर्ष

समस्त निवासी ग्राम गेरसा, तह. धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

आवेदकगण/दावाकर्तागण क्रमांक 1 से 3

4. अनूप कुमार अग्रवाल, पिता किशन अग्रवाल, व्यवसाय– वाहन स्वामी, बाजारपारा, पत्थलगांव, जिला जशपुरनगर

5. चैन सिंह, पिता रूप साय सिदार, आयु लगभग 35 वर्ष, व्यवसाय– चालक, निवासी पत्थलगांव, जिला जशपुरनगर

अनावेदकगण क्रमांक 1 व 2

विविध अपील क्र. 225/2004

अपीलार्थी द यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, स्थानीय शाखा कार्यालय, गोपी टॉकीज के सामने, रायगढ़ (छ.ग.)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थीगण

1. भगवती बाई, विधवा लक्ष्मीनारायण उर्फ नारायण, आयु लगभग 34 वर्ष
2. नाबालिक शकुन्तला, पिता स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण उर्फ नारायण, आयु लगभग 15 वर्ष
3. नाबालिक बलराम, पिता स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण उर्फ नारायण, आयु लगभग 10 वर्ष
4. नाबालिक सावित्री, पिता स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण उर्फ नारायण, आयु लगभग 7 वर्ष

क्रमांक 2 से 4 द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका माता सुश्री भगवती बाई

सभी निवासी पुरानी बस्ती, पत्थलगांव, तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुरनगर

दावाकर्तागण/आवेदकगण क्रमांक 1 से 4

5. अनूप कुमार अग्रवाल, पिता श्री किशन अग्रवाल, व्यवसाय–वाहन स्वामी, निवासी बाजारपारा, पत्थलगांव, जिला जशपुर

6. चैन सिंह,पिता अंजना सिदार, व्यवसाय– वाहन चालक, निवासी बाजारपारा, पत्थलगांव, तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर

अनावेदक क्रमांक 1 व 2

विविध अपील क्रमांक 226/2004

अपीलार्थी शाखा प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय,गोपी टॉकीज के सामने, रायगढ़ (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. दिलासो बाई, विधवा मदन सिंह (मृत)महरा राम पिता बुट्रराम राठिया, आयु 50 वर्ष,निवासी गेरसा, तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

आवेदक/दावाकर्ता

2. अनूप कुमार अग्रवाल, पिता श्री किशन अग्रवाल, व्यवसाय–वाहन स्वामी,बाजारपारा, पत्थलगांव, जिला जशपुरनगर
3. चैन सिंह सिदार, पिता रूप साय सिदार, आयु लगभग 35 वर्ष , व्यवसाय– वाहन चालक, निवासी पत्थलगांव, जिला जशपुरनगर

अनावेदक क्रमांक 1 व 2

उपस्थित:

श्री एच. बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता समस्त अपीलों में अपीलार्थी की ओर से।

समस्त अपीलों में प्रत्यर्थीगणों/दावाकर्ताओं एवं चालक की ओर से कोई नहीं।

श्री संजय अग्रवाल सहित श्री आर. प्रधान, अधिवक्तागण समस्त अपीलों में प्रत्यर्थी –अनूप कुमार अग्रवाल की ओर से

निर्णय

(दिनांक 10/07/2007 को उद्घोषित)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश

1. विविध अपील क्रमांक 223/04 जो दावा प्रकरण क्रमांक 34/02 सेवा बाई व अन्य बनाम अनूप अग्रवाल व अन्य से उद्भूत है; विविध अपील क्रमांक 224/04 जो दावा प्रकरण क्रमांक 37/02 संझकुंवर व अन्य बनाम अनूप अग्रवाल व अन्य से उद्भूत है; विविध अपील क्रमांक 225/04 जो दावा प्रकरण क्रमांक 36/02 भगवती बाई व अन्य बनाम अनूप अग्रवाल व अन्य से उद्भूत है; तथा विविध अपील क्रमांक 226/04 जो दावा प्रकरण क्रमांक 33/02 दिलासो बाई बनाम अनूप अग्रवाल व अन्य से उद्भूत है, का निराकरण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये सभी अपीलें, दिनांक 1.10.1998 को हुई दुर्घटना से उद्भूत दावा प्रकरणों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें ट्रक पंजीयन क्रमांक म.प्र.26–डी–4674, जो प्रत्यर्थी–अनूप कुमार अग्रवाल के स्वामित्व का, प्रत्यर्थी–चैन सिंह सिदार द्वारा चालित एवं संगत अवधि के लिए यहां अपीलार्थी द्वारा बीमाकृत था, और साथ ही इनमें यह विधि का समान प्रश्न भी अंतर्ग्रस्त है कि क्या मालवाहक वाहन में आनुग्रहिक यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए प्रतिकर का भुगतान करने हेतु अपीलार्थी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

2. इन अपीलों के न्यायनिर्णयन हेतु आवश्यक तथ्य यह हैं कि दिनांक 1.10.1998 को लगभग रात्रि 8.30 बजे, प्रत्यर्थी–चैन सिंह, ट्रक पंजीयन क्रमांक म.प्र.26–डी–4674, जो प्रत्यर्थी अनूप कुमार अग्रवाल के स्वामित्व का एवं अपीलार्थी द्वारा बीमाकृत है, को चलाते हुए जब वह गेरसा से धरमजयगढ़ जा रहा था, तब आमापाली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक में चूना पत्थर लदा हुआ था। उक्त ट्रक में चालक एवं सफाईकर्मी अर्थात् लक्ष्मीनारायण के अतिरिक्त नौ व्यक्ति यात्रा कर रहे थे । इस दुर्घटना में बरत राम, मदन सिंह, लगिन सिंह एवं वाहन के सफाईकर्मी लक्ष्मीनारायण की मृत्यु हो गई। इन चारों मृत व्यक्तियों के विधिक वारिसों ने प्रतिकर हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत किये। दावा अधिकरण ने दावा प्रकरण क्रमांक 33/02 में मदन सिंह की मृत्यु के लिए रु.1,75,000/–; दावा प्रकरण क्रमांक 34/02 में बरत राम की मृत्यु के लिए रु.1,75,000/–; दावा प्रकरण क्रमांक 36/02 में दोषी वाहन के सफाईकर्मी लक्ष्मीनारायण की मृत्यु के लिए रु.1,46,000/– तथा दावा प्रकरण क्रमांक 37/02 में लगिन सिंह की मृत्यु के लिए रु.1,75,000/– की राशि, आवेदन दिनांक से 9% ब्याज सहित अधिनिर्णीत की। स्वामी,

चालक एवं अपीलार्थी–बीमा कंपनी को आक्षेपित अधिनिर्णय की तुष्टि हेतु संयुक्त रूप से तथा पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी ठहराया गया।

3. चारों दावा प्रकरणों में संबंधित पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर, अन्य विवाद्यकों के अतिरिक्त, विवाद्यक क्रमांक 3 व 4 निम्नानुसार विरचित किये गये:–

3. क्या दुर्घटना दिनांक 1.10.1998 को अनावेदक (चालक) के पास विधिमान्य एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी, यदि हाँ, तो उसका प्रभाव?"

4. "क्या दुर्घटना के समय वाहन का उपयोग बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में किया जा रहा था, यदि हाँ, तो उसका प्रभाव?"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. दावा अधिकरण ने आक्षेपित अधिनिर्णय द्वारा उपरोक्त विवाद्यकों का विनिश्चय इस निष्कर्ष के साथ किया है कि वाहन, बीमा पॉलिसी प्रदर्श डी–1 के तहत बीमाकृत था और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार छह व्यक्तियों का जोखिम रक्षित था। **नेश्नल इन्श्योरेन्स कं.लि. बनाम सतपाल सिंह**, जो **ए.आई.आर.2000 एस.सी.235 (हिमाचल प्रदेश)** में प्रकाशित है, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पॉलिसी की शर्त के अनुसार सीमित यात्रियों के नि:शुल्क यात्रा करने की दशा में इसे पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है और चूँकि छह व्यक्तियों का जोखिमरक्षित था, इसलिए बीमा कंपनी अधिनिर्णय की तुष्टि हेतु उत्तरदायी है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन एक मालवाहक वाहन था और दुर्घटना के समय मृतक व्यक्ति उक्त वाहन में आनुग्रहिक यात्रियों के रूप में यात्रा कर रहे थे। प्रदर्श डी–1 की बीमा पॉलिसी के अनुसार जोखिम रक्षण केवल मोटर वाहन के संचालन, रखरखाव और सामान उतारने के संबंध में नियोजित 1+ 1+ 4 व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध था, जबकि मृतक व्यक्ति अर्थात् बरत राम, लगिन सिंह एवं मदन सिंह उक्त वाहन में आनुग्रहिक यात्रियों के रूप में यात्रा कर रहे थे और केवल मृतक लक्ष्मीनारायण ही उक्त वाहन में 'सफाईकर्मी' के रूप में नियोजित था। **न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. बनाम आशा रानी व अन्य**, जो **2003 (2) एस.सी.सी.**

223 में प्रकाशित है, के मामले पर विश्वास करते हुए यह निवेदन किया गया है कि सतपाल सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में विद्वान दावा अधिकरण द्वारा विश्वशनीय माना गया निर्णय को उलट किया जा चुका है।

6. **प्रमोद कुमार अग्रवाल बनाम मुश्तरी बेगम (श्रीमती) व अन्य**, जो **2004 (8) एस.सी.सी. 667** में प्रकाशित है, एवं **ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि. बनाम देवीरेड्डी कोंडा रेड्डी व अन्य,** जो **ए.आई.आर. 2003 सुप्रीम कोर्ट 1009** में प्रकाशित है, के मामलों पर विश्वास किया गया है और यह तर्क दिया गया है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') के अंतर्गत परिवहन के लिए यात्रियों को ले जाना परिकल्पित नहीं है और इसलिए, अधिनियम के प्रावधान किसी मालवाहक वाहन में यात्रा कर रहे किसी भी यात्री के लिए अपने वाहन का बीमा कराने हेतु वाहन के स्वामी पर कोई सांविधिक दायित्व अधिरोपित नहीं करते हैं और बीमा कंपनी इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. वहीं दूसरी ओर, प्रत्यर्थी– स्वामी के–स्वामी के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि मृतकगण उक्त वाहन में वाहन को खाली करने के प्रयोजन से श्रमिक के रूप में यात्रा कर रहे थे। स्वामी ने चालक को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि वह ट्रक में यात्रियों को अनुमति न दे, अतः, यदि चालक द्वारा यात्रियों को अनुमति दी गई थी, तो वह बिना अनुमति के तथा विशिष्ट निर्देशों के विरुद्ध था और इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि बीमाकृत द्वारा पॉलिसी की शर्त का कोई उल्लंघन किया गया था। **रमेश कुमार बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**, जो **ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 3363** में एवं **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी विरुद्ध सतपाल सिंह,** जो **ए.आई.आर. 2000 सुप्रीम कोर्ट** 235 में प्रकाशित है, के न्यायदृष्टांतों पर भरोसा किया गया है।

8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

9. दावा याचिकाओं में अभिवचनों के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि मृतक व्यक्तियों के विधिक प्रतिनिधियों ने, दावा प्रकरण क्र. 36/02 के सिवाय, जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि मृतक लक्ष्मीनारायण उक्त वाहन में 'सफाईकर्मी' के रूप में नियोजित था, किसी भी याचिका में यह दावा नहीं किया है कि मृतकगण उक्त वाहन में माल उतारने के लिए श्रमिक के रूप में नियोजित थे। दावा प्रकरण क्र. 34/02 में ए.डब्लू.–1 के रूप में परीक्षित मानसिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा के कण्डिका–1 में यह कथन किया है कि उक्त मैटाडोर में कुल नौ यात्री यात्रा कर रहे थे, सफाईकर्मी द्वारा कोई किराया नहीं

लिया गया था और वे दशहरा देखने के लिए धरमजयगढ़ जा रहे थे। यद्यपि इस दावा याचिका में अ.स – 3 के रूप में परीक्षित बंशीराम ने यह भी कथन किया है कि चालक ने उन्हें माल उतारने के प्रयोजन हेतु नियोजित किया था, किंतु दावा याचिकाओं के अभिवचनों, प्राथमिकी)(FIR) और स्वयं दावाकर्ताओं द्वारा प्रदर्श पी–2 के रूप में साबित किये गये तथ्यों पर विचार करते हुए, जिसमें यह उल्लेखित है कि वे गेरसा से धरमजयगढ़ दशहरा देखने के लिए जा रहे थे और सफाईकर्मी लक्ष्मीनारायण द्वारा प्रति यात्री 10/– की दर से किराया वसूला गया था, बंशीराम)(अ.सा.–3) के कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

10. जहाँ तक स्वामी की ओर से किये गये इस निवेदन का प्रश्न है कि चालक ने उसके स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करते हुए यात्रियों को ढोया था, स्वामी ने इस संबंध में अपने चालक को कोई निर्देश दिये जाने बाबत् कोई अभिकथन नहीं किया है, इसके विपरीत, जवाब में, दावा याचिका में कथित तथ्यों का खंडन किया गया है, उक्त दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों की दुर्घटना एवं मृत्यु का भी खंडन किया गया है और यह कहा गया है कि चालक के विरुद्ध एक झूठा आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। इस प्रकार, अभिवचनों के अभाव में, इस न्यायालय के समक्ष शपथ पर दिये गये कथन में प्रत्यर्थी–स्वामी द्वारा लिया गया बचाव स्पष्ट रूप से बाद की सोच है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक प्रत्यर्थी स्वामी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए न्यायदृष्टांतों का प्रश्न है, चूँकि सतपाल सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में प्रतिपादित विधि माननीय उच्चतम न्यायालय की वृहद न्यायपीठ द्वारा पहले ही निरस्त की जा चुकी है और आक्षेपित अधिनिर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के निरस्त न्यायदृष्टांत पर भरोसा करते हुए पारित किया गया था, अतः, निरस्त किये गये न्यायदृष्टांत पर आगे भरोसा करना असमर्थनीय है।

11. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक बरत राम, मदन सिंह और लागिन सिंह वाहन में आनुग्रहिक यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे, जबकि, मृतक लक्ष्मीनारायण ट्रक के सफाईकर्मी (खलासी) के रूप में नियोजित था। बीमा पॉलिसी के परिशीलन से यह स्थापित है कि पॉलिसी दिनांक 2.9.1998 से 1.9.1999 तक की अवधि के लिए वैध थी और मोटर वाहन के संचालन और/अथवा रखरखाव और/अथवा माल उतारने के संबंध में नियोजित व्यक्तियों के जोखिम को शामिल करने के लिए अर्थात् 1+ 1+ 4 के लिए स्वामी द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, चालक, क्लीनर तथा माल उतारने के लिए नियोजित चार श्रमिकों का जोखिम शामिल था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. आशा रानी के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:

"यदि मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 1994 का, विशेष रूप से अधिनियम 54 सन् 1994 की धारा 46 का, जिसके द्वारा मूल अधिनियम में अभिव्यक्ति "किसी व्यक्ति को हुई क्षति" को "वाहन में ले जाए जा रहे माल के स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित किसी व्यक्ति को हुई क्षति" अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, परीक्षण किया जाए, तो यह निष्कर्ष अप्रतिरोध्य है कि पूर्वोक्त संशोधन अधिनियम, 1994 के पूर्व, भले ही "किसी व्यक्ति को" अभिव्यक्ति की व्यापकतम व्याख्या की जाए, यह वाहन में ले जाए जा रहे माल के स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को शामिल नहीं करेगा। खंड 46 के उद्देश्यों एवं कारणों में भी यह कहा गया है कि यह बीमा पॉलिसी के अंतर्गत दायित्व के प्रयोजनों के लिए वाहन में ले जाए जा रहे माल के स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को शामिल करने हेतु धारा 147 को संशोधित करने का प्रयास करता है। यद्यपि कभी–कभी यह विधायिका विधि में निहित किसी स्थिति के विस्तार और स्पष्टीकरण के रूप में विधि में संशोधन करती है, किंतु विधि में प्रयुक्त शब्दों को, जैसा कि वे 1994 के संशोधन से पहले थे, एक सादा अर्थ देते हुए, और जैसा कि वे 1994 में संशोधन के पश्चात् हैं, और संशोधित प्रावधानों में प्रतिष्ठापित उद्देश्यों और कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह अर्थान्वयन करना संभव नहीं है कि "वाहन में ले जाए जा रहे माल के स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित" अभिव्यक्ति, जिसे पूर्व–विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी व्यक्ति को हुई क्षति" में जोड़ा गया था, पूर्व–विद्यमान विधि का या तो स्पष्टीकरण है या विस्तार है। दूसरी ओर यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि विधायिका धारा 147 के दायरे में लाना चाहती थी और बीमाकर्ता के लिए, माल वाहन के मामले में भी, माल वाहन में ले जाए जा रहे माल के स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का बीमा करना अनिवार्य बनाना चाहती थी, जब वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और माल का स्वामी या उसका प्रतिनिधि या तो मृत हो जाता है या उसे शारीरिक क्षति होती है। अतः, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि 1994 में इसके संशोधन से पूर्व धारा 147 के तहत मामलों के संबंध में, बीमाकर्ता माल वाहन में ले जाए जा रहे माल के स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, जब वह वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और माल का स्वामी या उसका प्रतिनिधि मर जाता है या उसे कोई शारीरिक क्षति होती है, प्रतिकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा"।

13. देवीरेड्डी कोंडा रेड्डी (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के कण्डिका 11 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है,

"11. अतः, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अधिनियम के प्रावधान वाहन के स्वामी पर कोई सांविधिक दायित्व अधिरोपित नहीं करते हैं कि वह माल गाड़ी में यात्रा करने वाले किसी भी यात्री के लिए अपने वाहन का बीमा करवाए और इसलिए बीमाकर्ता का कोई दायित्व नहीं होगा।"

14. प्रमोद कुमार अग्रवाल (पूर्वोक्त) के मामले में भी उपरोक्त उद्धृत न्यायदृष्टांतों को अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "यात्रियों के संबंध में, विशेष रूप से निःशुल्क यात्रियों के संबंध में, जो न तो बीमा संविदा करते समय परिकल्पित थे, और न ही ऐसे वर्ग के लोगों को बीमा का लाभ देने की सीमा तक कोई प्रीमियम का भुगतान किया गया था, बीमाकर्ता के दायित्व का प्रावधान करना विधायिका का आशय नहीं था" और सतपाल सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में दिया गया निर्णय उलट दिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्तानुसार वर्णित आबद्धकर न्याय–दृष्टांतों के प्रकाश में, मेरा यह सुविचारित मत है कि दावा प्रकरण क्र. 34/02 सेवा बाई व अन्य विरुद्ध अनूप अग्रवाल व अन्य (विविध अपील क्रं. 223/04); दावा प्रकरण क्र. 37/02 संझकुंवर व अन्य विरुद्ध अनूप अग्रवाल व अन्य (विविध अपील क्रं. 224/04) तथा दावा प्रकरण क्र. 33/02 दिलासो बाई विरुद्ध अनूप अग्रवाल व अन्य (विविध अपील क्रं. 226/04) में दावा अधिकरण के निष्कर्षों को कायम नहीं रखा जा सकता तथा तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी बीमाकर्ता प्रतिकर के भुगतान हेतु दायी नहीं है और स्वामी ही अधिनिर्णीत राशि का भुगतान करने हेतु दायी था। अतएव, प्रमोद कुमार अग्रवाल (पूर्वोक्त) तथा **नेशनल इंश्योरेंस कं. लि. बनाम बलजीत कौर, (2004) 2 एस.सी.सी.1** में प्रकाशित माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय–दृष्टांतों पर अवलंबन लेते हुए, यह न्यायालय इस प्रकार निर्देश देता है कि;–

'बीमाकर्ता, अधिकरण द्वारा नियत प्रतिकर की राशि, जिसके संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया गया था, का भुगतान प्रत्यर्थी–दावाकर्तागण को आज से दो माह के भीतर करेगा। स्वामी से उक्त राशि की वसूली के प्रयोजन से, बीमाकर्ता को वाद दायर करना अपेक्षित नहीं होगा। वह संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है मानो बीमाकर्ता तथा स्वामी के मध्य का विवाद अधिकरण के समक्ष अवधारण की विषय–वस्तु था तथा विवाद्यक का विनिश्चय

स्वामी के विरुद्ध एवं बीमाकर्ता के पक्ष में किया गया हो। प्रतिभूति के भाग के रूप में दुर्घटनाकारी वाहन कुर्क किया जावेगा। यदि आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो निष्पादन न्यायालय संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की सहायता लेगा। निष्पादन न्यायालय विधि के अनुसार उस रीति के संबंध में समुचित आदेश पारित करेगा जिससे वाहन का स्वामी अर्थात् प्रत्यर्थी अनूप कुमार अग्रवाल बीमाकर्ता को भुगतान करेगा। किसी व्यतिक्रम की दशा में, निष्पादन न्यायालय के लिए यह स्वतंत्रता होगी कि वह वाहन के स्वामी की किसी अन्य संपत्ति या संपत्तियों के व्ययन द्वारा वसूली का निर्देश दे।'

16. तथापि, मृतक लक्ष्मीनारायण की मृत्यु से उद्भूत दावा प्रकरण क्र. 36/2002 (विविध अपील क्रं.225/04) में दावा अधिकरण का निष्कर्ष उचित है, क्योंकि उपरोक्त प्रकरण में दावाकर्तागण मृतक लक्ष्मीनारायण के विधिक प्रतिनिधिगण हैं, जो दुर्घटनाकारी ट्रक में सफाईकर्मी के रूप में नियोजित था तथा बीमा पॉलिसी वाहन के संधारण तथा प्रचालन के संबंध में नियोजित कर्मचारी के जोखिम को समाहित करती है। अतएव, लक्ष्मीनारायण की मृत्यु की जोखिम विधिवत् रूप से समाहित थी और तदनुसार, दावा प्रकरण क्र. 36/02 में पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अर्थात् विविध अपील क्रं. 225/04 एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

17. परिणामस्वरूप, विविध अपील क्रं.223/04, विविध अपील क्रं.224/04 तथा विविध अपील क्रं. 226/04 अंशतः स्वीकार की जाती हैं एवं इन अपीलों में पारित अधिनिर्णय उपरोक्तानुसार संशोधित किये जाते हैं। तथापि, दिनांक 20.10.2003 के अधिनिर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत विविध अपील क्रं.225/04 एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

सही/–
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Bhumesh Bharti

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur